न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी नन्द किशोर राजोरा)
आर.ए.एस

प्रकरण सं. / वाद पत्र / एल.आर. / 09 / 2018

1. धन्नालाल पिता भूरा कौम तेली उम्र वयस्क
2. ऐजन पत्नि भूरा जाति जाट उम्र वयस्क निवासीगण देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पिता उगमा जाति गूर्जर निवासी देवलियांकलां
2. राजेन्द्र पिता भूरा तेली निवासी देवलियांकलां
3. छोटू तेली पिता बरदा तेली निवासी देवलियांकलां
4. नाथूलाल चपलोत महाजन पिता रिखबचन्द चपलोत निवासी देवलियांकला

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील अपीलाण्ट श्री विष्णुदत्त शर्मा

निर्णय दिनांक 23.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियांकला के खसरा नं. 919 रकबा 0.71 हैं., 920 रकबा 0.54 व खसरा नं. 925 रकबा 0.40 हैं. किता 3 कुल रकबा 1.65 हैं. जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 4 नोटिस तामिली बावजूद उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 21.03.18 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं. 1 व 3 के विरूद्ध कोई सिद्धी न चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा देवलियांकला के खसरा नं. 919 रकबा 0.71 हैं., 920 रकबा 0.54 व खसरा नं. 925 रकबा 0.40 हैं. किता 3 कुल रकबा 1.65 हैं. प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक– देवलियांकलां को 1,500 / –रूपये (अक्षरे– एक हजार पॉच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से. कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, जिला अजमेर

Scanned with CamScanner